

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1958] No. 1958] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 12, 2017/आषाढ़ 21, 1939

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 12, 2017/ASADHA 21, 1939

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग)

(ऑटो प्रभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2017

का.आ. 2199(अ).—भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण की स्कीम [फेम इंडिया स्कीम] जो का.आ. 830(अ) दिनांक 13 मार्च, 2015 को अधिसूचित की गई थी, में आंशिक संशोधन करते हुए तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:-

(1) खंड सं. 24 (स्कीम की पृष्ठ सं. 4) के अंतर्गत उप-खंड (सीसी) निम्नवत जोड़ा जाता है:

खंड 24 (सीसी): इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन (जिसकी अधिकतम गति 25 कि.मी./घंटा हो) :

(2) खंड सं. 30 (स्कीम की पृष्ठ सं. 6) के अंतर्गत उप-खंड (जे) निम्नवत जोड़ा जाता है:

खंड 30 (जे) : एल5 वर्ग के इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन (जिसकी अधिकतम गति 25 कि.मी./घंटा हो) के मामले में एआईएस 049 के अनुसार प्रमाणित और टाइप अनुमोदित किया जाए ।

(3) अनुबंध 13 (स्कीम की पृष्ठ सं. 21) के अंतर्गत निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार कम गति वाले तिपहिया वाहनों के लिए वाहन प्रोत्साहन हेतु एक नई तालिका 2(ए) जोड़ी जाती है:

तालिका 2(ए): कम गति वाले तिपहिया वाहन (वर्ग एल5 समकक्ष)

कम गति वाले तिपहिया वाहन	प्रोत्साहन (₹)**	
	स्तर 1	स्तर 2
	(रेंज 50 कि.मी. तक)	(रेंज 80 कि.मी. तक)
बीईवी (पारम्परिक बैटरी)*	16800/-	20000/-
बीईवी (उन्नत बैटरी)	37500/-	45000/-

- * पारम्परिक बैटरी के लिए प्रोत्साहन 30 सितम्बर, 2017 अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, उपलब्ध रहेगा।
- ** ये प्रोत्साहन केवल उन वाहनों को उपलब्ध कराए जाएंगे जिनका विनिर्माण भारत में किया गया है और भारत में न्यूनतम 35% का मूल्य संवर्धन हुआ।

[फा.सं. 1(05)/2016-एनएबी.II (ऑटो)] विश्वजीत सहाय, संयुक्त सचिव

4294GI/2017 (1)

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES

(Department of Heavy Industry)

(AUTO DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2017

S.O. 2199(E).— In partial modification of the Scheme for Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles in India [FAME India Scheme] which was notified vide S.O. 830(E) dated the 13th March 2015, the following amendments are made with immediate effect:—

(1) Sub-clause (cc) is inserted under Clause 24 (Page No. 25 of the Scheme) as under:

Clause 24(cc): Electric Three Wheeler (with maximum speed not exceeding 25 KM /Hour)

(2) Sub-clause (j) in inserted under Clause 30 (Page No. 26 of the Scheme) as under:

Clause 30(j): be certified and type approved as per AIS 049 in case of L5 Category Electric Three Wheeler (with maximum speed not exceeding 25 KM/Hour)

(3) Under Annexure 13 (Page No. 38 of the Scheme), a new Table 2(a) is inserted for the demand incentives for low speed three wheelers, as detailed below:

Table 2 (a): Low Speed Three Wheeler (Category L5 Equivalent)

Low Speed Three Wheeler	Incentive (Rs) **	
	Level 1	Level 2
	(Range 50 km)	(Range 80 km)
BEV (Conventional Battery) *	16800/-	20000/-
BEV (Advance Battery)	37500/-	45000/-

- * Incentive for conventional battery will be available till 30th September 2017 or till further orders, whichever is earlier.
- ** These incentives will be available to only those vehicles which are manufactured in India and have at least 35% value addition in India.

[F.No. 1(05)/2016-NAB.II (Auto)]

VISHVAJIT SAHAY, Jt. Secy.